रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 1973/श्रावण 18, 1895

No. 196] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 1973/SRAVANA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1973

G.S.R. 389 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rules (3) and (4) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby reappoints Shri S. R. Kaiwar and Shri M. A. Khan to be directors in the Board of Directors of the Food Corporation of India with effect from 1-7-1973 and 11-8-1973 respectively.

[No. 4-1/73-F.C(I) Section.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 389 (अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के साथ पठित उप-धारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० आर० केवर और श्री एम० ए० खां को क्रमशः 1-7-73 और 11-8-73 से भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक पुनः नियुक्त करती है ।

[सं० का० 4/1/73—एफ०सी० (1) अनुभाग 1]

ए० के० मजूमदार,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973